पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 21, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–02

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	47–72	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	11–45	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	03	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

अधिसूचना

विविध

06 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1091/XXIV(6)/2019–106/2010–राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

नियम 1 का संशोधन

2\. उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 1 के उप–नियम (3) के पश्चात् एक परन्तुक निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:–

परंतु उपर्युक्त के अतिरिक्त यह उन समस्त विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगी जिनके अधिनियमों में केन्द्रीयकृत सेवा नियमावली के माध्यम से कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया हो।

नियम 5 का संशोधन

3\. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

विद्यमान नियम स्तम्भ–1	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
5(3) **सहायक कुलसचिव–** (क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ख) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी अधीक्षकों (लेखा), जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को शामिल करते हुए मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी अधीक्षकों में से, पदोन्नति द्वारा।	5(3) **सहायक कुल सचिव–** आयोग के माध्यम से केवल सीधी भर्ती द्वारा,

अनुसूची

(नियम 4(2) तथा 24(2) देखें)

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान रूपये
1	2	3	4
1.	कुलसचिव	06	67700-208700 (Level 11)
2.	उप कुलसचिव	06	56100-177500 (Level 10)
3.	सहायक कुल सचिव	14	47600-151100 (Level 8)

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1091/XXIV(6)/2019-106/2010**, dated December 06, 2019 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

December 06, 2019

No. 1091/XXIV(6)/2019-106/2010--In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 17 of Uttarakhand (Uttar Pradesh State University Act, 1973) Adoption and of Modification Order 2001 (as amended from time to time) Governors is Pleased to make the following rules, with a view to further amend the Uttarakhand State University (Centralised) Service Rules, 2006 :-

The Uttarakhand State University Centralized Service (Amendment) Rules, 2019

Short Title and Commencement 1. (1) These rule may be called the Uttarakhand State University Centralized Service (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 1

2. In the Uttarakhand State University (Centralized) Service Rules, 2006 (as amended from time to time) (hereinafter referred as the principal Rules), a Proviso shall be inserted after sub rule (3) of rule 1, as follows namely;

Provided that apart from above this shall also apply to all the Universities wherein their Act provision of appointment of Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar under the centralized Service Rules has been made.

Amendment of Rule 5

3. In the principal Rules for sub-rule (3) of rule 5 set out in column 1 below, the rule set out in column 2 shall be substituted namely:-

existing rule **Column-1**	**here by substituted rule** **Column-2**
5(3) **Assistant Registrar-** (a) Fifty percent by direct recruitment through commission. (b) Fifty percent by promotion through the commission from amongst substantively appointed permanent Superintendents including substantively appointed permanent superintendents (Accounts) who have completed five years of service.	**5(3) Assistant Registrar-** Only by direct recruitment through commission.

Schedule

(See Rule-4(2) and 24(2))

S.No.	Post Name	No. of Post	Pay Scale
1	2	3	4
1.	Registrar	06	67700-208700 (Level 11)
2.	Deputy Registrar	06	56100-177500 (Level 10)
3.	Assistant Registrar	14	47600-151100 (Level 8)

By Order,

ANAND BARDHAN,

Principal Secretary.

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

18 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1475/XV–1/19/2(7)/2014–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली–2019

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग लिपिक वर्ग सेवा में समूह 'ख' एवं "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से प्रधान कार्यालय के समस्त पदों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, के पदों के संबंध में निदेशक, पशुपालन से है तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के संबंध में संबंधित मण्डल के अपर निदेशक, पशुपालन अभिप्रेत है;

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) **"संविधान"** से भारत के संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) **"सेवा का सदस्य"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग लिपिक वर्गीय सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ण) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलैन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) प्रधान कार्यालय (निदेशालय) एवं प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के पदों के लिए अलग–अलग संवर्ग होंगे।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए।

(3) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उप नियम (2) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तित न की जाए, उतनी ही होगी, जितनी परिशिष्ट–'क' में दी गयी है:

परन्तु यह कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई एवं अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रधान कार्यालय में प्रधान कार्यालय संवर्ग से तथा अधीनस्थ कार्यालय के पदों पर भर्ती (गढ़वाल मण्डल के संदर्भ पशुलोक प्रक्षेत्र/कालसी प्रक्षेत्र को सम्मिलित करते हुए गढ़वाल मण्डल के समस्त प्रक्षेत्रों/कार्यालयों के संवर्ग तथा कुमाऊँ मण्डल के संदर्भ में कुमाऊँ मण्डल के समस्त प्रक्षेत्रों/कार्यालयों के संवर्ग) अधीनस्थ कार्यालय संवर्ग से निम्नवत् की जायेगी।

प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय

(क) कनिष्ठ सहायक

(एक) 70 प्रतिशत रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 25 प्रतिशत रिक्तियां (15 प्रतिशत् जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत, जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों) प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय के समूह "घ" के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जायेगीं :

परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से, पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा ;

(तीन) प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय के लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी "कनिष्ठ सहायक" के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों, जो हाईस्कूल परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी।

(ख) वरिष्ठ सहायक

प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) प्रधान सहायक

प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय के मौलिक रूप में नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(घ) प्रशासनिक अधिकारी

प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ड़) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 02 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(च) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 01 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी: लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती, जिस कार्यालय में होनी हो, उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' त वाहन चालक, जो 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, ही पात्र होंगे। समूह 'घ' तथा वाहन चालक पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन श्रेष्ठता के आधार पर साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगें। लिखित परीक्षा 40 अंक की होगी पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होगें। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेगें तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक नि किए जायेगें। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहाँ टंकण संवर्ग में भर्ती की जानी हो वहाँ उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगें :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मापदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिये आवश्यक है, कि :–

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत मे स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केनिया, उगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र किया गया हो :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा मे इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताए

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

प्रधान कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय

(क) कनिष्ठ सहायक

(एक) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(दो) हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:–

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

अनिवार्य / वांछनीय अर्हता

9(1) (क) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 4 में वर्णित अर्हता पूर्ण करते हो।

(ख) आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

(ग) आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आयोग तथा संबंधित चयन संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए चयन हेतु नामित किया जाए, द्वारा लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृति, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्नों को भी प्रश्नपत्रों में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अधीनस्थ चयन आयोग तथा संबंधित चयन संस्था द्वारा जिन पदों के लिए चयन प्रक्रियाओं में संगत सेवा नियमावली के अनुसार साक्षात्कार की व्यवस्था निहित हो, उनमें उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृति, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्न भी पूछे जायेंगे।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियों भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाए, उस वर्ष की पहली जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए ;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा।

<u>टिप्पणी</u> संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियत्रंणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक पति जीवित सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे :

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13 (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो।

(2) किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे सेवा के सीधी भर्ती के पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य श्रेणियों एवं विभाग में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ओर आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती के द्वारा चयन की प्रकिया

15. सीधी भर्ती, उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 के अनुसार की जायेगी तथा इन पदों पर सीधी भर्ती अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16 (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, निम्नलिखित गठित चयन समिति के माध्यम से उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार की जायेगी।

(क) नियुक्ति प्राधिकारी — **अध्यक्ष**

(ख) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को 'नियुक्ति प्राधिकारी' द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा — **सदस्य**

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडे वर्गो से भिन्न कोई भी अधिकारीं नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। — **सदस्य**

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गो का ना हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गो का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछडे वर्गो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची, उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के नियम 5 के उपबन्धों के अधीन तैयार करेगा और उनकी विगत पाँच वर्षो की चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी, को अग्रसारित करेंगी।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उसके नाम, यथास्थिति नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची मे हो।

(2) यदि एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाय, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा। जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया हो, में विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय :

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक, नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या संतोषजनक सेवायें प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवाओं के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

स्थायीकरण

19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय, कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

20. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार की जायेगी; यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उनके नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये गये हों।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान **परिशिष्ट "क"** में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) यदि व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों के द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवायें प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **23.** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **24.** ऐसे विषयों के संबंध में जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू विनियमों, और आदेशों द्वारा विनियमित होंगें।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **25.** यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय, कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमित करने वाले किसी नियम को प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के संबंध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्ण कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति **26.** इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट–क

प्रधान कार्यालय (निदेशालय संवर्ग) पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्र० स०	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पद संख्या
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–10 (56100–177500)	03
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–8 (47600–151100)	04
3	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–7 (44900–142400)	04
4	प्रधान सहायक	वेतन लेवल–6 (35400–112400)	09
5	वरिष्ठ सहायक	वेतन लेवल–5 (29200–92300)	14
6	कनिष्ठ सहायक	वेतन लेवल–3 (21700–69100)	16
योग:–			50

कुमाँऊ मण्डल – नैनीताल

क्र० स०	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पद संख्या
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–10 (56100–177500)	04
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–8 (47600–151100)	05
3	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–7 (44900–142400)	05
4	प्रधान सहायक	वेतन लेवल–6 (35400–112400)	12
5	वरिष्ठ सहायक	वेतन लेवल–5 (29200–92300)	18
6	कनिष्ठ सहायक	वेतन लेवल–3 (21700–69100)	20
योग:–			64

गढ़वाल मण्डल – पौड़ी

क्र० स०	पदनाम	वेतनमान (रू० में)	पदों की संख्या		
			जनपद/ मण्डल कार्यालय	पशुलोक/ कालसी प्रक्षेत्र	योग
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–10 (56100–177500)	05	01	06
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–8 (47600–151100)	06	01	07
3	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन लेवल–7 (44900–142400)	07	02	09
4	प्रधान सहायक	वेतन लेवल–6 (35400–112400)	15	04	19
5	वरिष्ठ सहायक	वेतन लेवल–5 (29200–92300)	23	06	29
6	कनिष्ठ सहायक	वेतन लेवल–3 (21700–69100)	26	07	33
योग:–			82	21	103

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1475/XV-1/19/2(7)/2014**, dated December 18, 2019 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

December 18, 2019

No. 1475/XV-1/19/2(7)/2014--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Animal Husbandry Department Ministerial Service.

THE UTTARAKHAND ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT MINISTERIAL SERVICE RULES, 2019

Part-1 General

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttarakhand Animal Husbandry Department Ministerial Service Rules, 2019."

(2) They shall come into force at once

Status of the Service

2. The Uttarakhand Animal Husbandry Department Ministerial Service comprises Group 'B' & 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in subject or context:

(a) "**Appointing Authority**" means Director, Animal Husbandry for the posts of Chief Administrative Officer, Senior Administrative Officer of the subordinate offices and all posts of Head Office and Additional Director, Animal Husbandry of respective divisions for Administrative Officer, Head Assistant, Senior Assistant, and Junior Assistants of subordinate offices.

(b) "**Citizen of India**" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part-II of the Constitution.

(c) "**Commission**" means the Uttarakhand Subordinate Service Commission;

(d) "**Constitution**" means the Constitution of India;

(e) "**Government**" means the State Government of Uttarakhand.

(f) "**Governor**" means the Governor of Uttarakhand;

(g) "**Member of the service**" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the respective cadre of the service;

(h) "**Service**" means the Uttarakhand Animal Husbandry Department Ministerial Service;

(i) "**Substantive appointment**" means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure for the time being by the executive instructions, issued by the Government.

(j) **Year of recruitment"** means the period of twelve month commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II-Cadre

Cadre of Service – 4. (1) There shall be separate cadres for the posts in the Head office (Directorate) and each Subordinate offices.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(3) The strength of the service and each category of post therein shall be, until orders varying the same have been passed under sub-rule (2) be as specified in **Appendix 'A'**

Provided that :-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation ;

(ii) The Governor may create such additional temporary or permanent posts, as he may consider proper.

Part- III- Recruitment

Source of recruirment 5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made in the posts of head office from head office cadre and in the subordinate offices (all the offices/ farm of Garhwal division, including Pashulok/ Kalsi farm and all the offices/farm of Kumauin division) from subordinate office cadre as follows: -

Head Office/ Subordinate Offices

(A) Junior Assistant

(i) 70 percent of posts by direct recruitment.

(ii) 25 percent of posts shall be filled by promotion from amongst the Class IV employees of Head office/Subordinate Office (15 percent from amongst those Class IV employees of Subordinate Office who have passed High School and 10 percent who have passed Intermediate) :

Provided that, in case of non availabity of sufficient number of candidates against the post identified for High School passed may be filled by promotion from amongst the employees having higher qualification :

(iii) 5 percent of posts of the total post of Junior post categery Junior Assistant of Head Office/Subordinate office by promotion from amongst the Drivers of such Office who have passed High School or higher qualification, by Appointing Authority.

(B) Senior Assistant

By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Junior Assistants of the Head office/Subordinate Office and have completed minimum 06 Years of service as Junior Assistant on the 1st day of the year of the recruitment.

(C) Head Assistant

By promotion, on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Senior Assistants of the Head office/ Subordinate Office and have completed minimum 03 Years of service as Senior Assistant on the First day of the recruitment and completed atleast 10 years service on subordinate posts .

(D) Administrative Officer	By promotion, on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Head Assistants of the Head office/Subordinate Office and have completed minimum 03 Years of service as such on the first day of the recruitment Or completed atleast 17 years service on subordinate posts.
(E) Senior Administrative Officer	By promotion, on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Administrative Officers of Head office/Subordinate Office and have completed 02 Years of service as such on the 1st day of the year of the recruitment or completed atleast 20 years service on subordinate posts.
(F) Chief Administrative Officer	By promotion, on the basis of seniority from amongst substantively appointed Senior Administrative Officers of Head office/Subordinate Office and have completed 01 Years service as Administrative officer on the 1st day of the year of the recruitment or completed atleast 25 years service on subordinate posts.

Note: Only those regular Group 'D', employees and Drivers, posted in the office where recruitment to the post of Junior Assistant has to be done, who completed 5 years of continuous service, shall be eligible for such recruitment. Selection from amongst the eligible Class IV employees and Drivers for promotion to the post of Junior Assistant shall be done on the basis of a general examination. Such examination shall consist of only One Question Paper comprising of Objective type Questions relating to General Hindi, General Knowledge and General Studies. Written Examination shall consit of 40 marks and Annual Character Roll of the eligible employee shall consist of 10 work marks. 2 marks shall be given per year but maximum to a total of 50 marks. shall be allotted for experience as Class IV employee or Driver. Therefore the Selection Examination shall consist of a total of 100 marks.

Where recruitment is be made of the post of Typist the Selection Examination shall also include Hindi Typing Examination of 50 marks in addition to the Selection Examination as described above. The candidates acquiring Hindi Typing Speed of less than 4000 Key Depressions/ hour shall not be eligible ;

Provided that the provisions of "Uttarakhand Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion Rules 2004 shall not apply to promotions to be under these Rules.

Reservation- 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Other backward classes, Economocally weaker section and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be made in accordance with the orders of Government in force at the time of recruitment.

Part IV-Qualification

Nationality 7. A candidate for direct recruitment to the service must be:

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permantly settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika & Zanribar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the state Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) above shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above,

certificate of eligibility shall not be issued for a period of more than one year, and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications

8. A candidate for direct recruitment to the sevice must possess the following qualification;

Head Office /Subordinate Offices

(a) Junior Assistant

(i) Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh Board or Uttarakhand Board school education or an examination recognized by the government as equivalent thereto:

(ii) Must have a speed of speed of 4000 Key depressions per hour in hindi on computer.

Preferential qualification-

9. A candidate other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment, if he:

(a) has served in Territorial army for minimum two years or

(b) has obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps

Essential/Desirable Qualification

9(1) (a) Must fullfill the eligibilty mentioned is rule 4 of the Essential/Desirable Qualification for the recruitement of group 'c' Posts within the purview of Uttrakhand Public Service Commision and outside the purview of the Public Service Commission Rules, 2010 (as amended from time to time)

(b) For recruitment of Group 'c' of direct recruitment falling within or outside the purview of Commission, the Candidate must have the knowledge of tradition, customs. and dialects of the State of Uttrakhand and must be generally suitable for appointment in view of the specific conditions prevailing in the State.

(c) For recruitment on the post of the Group 'c' by direct recruitment falling within or outside the purview of Commission or concerned institution designated for selection of candidates, Question papers for written examination must include the topics like geographical cultural, economical and historical background of Uttarakhand State.

(d) For recruitment on the post of the Group 'c' by direct recruitment falling within or outside the purview of Commission and concerned selection institution for the post for which provision of interview is prescribed in the relevant service rules, the question related to geographical, cultural, economical and historical background of Uttrakhand State shall be asked.

Age

10. For direct recruitment a candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of of July, in which calendar year vacancies are advertised by the recruitment Authority.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Schedule Caste, Schedule Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy himself in this respect.

Note- Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral torpitude shall also be ineligible

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness-

13 (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance to his duties.

(2) Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of
the Financial Hand Book, Volume II, part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V-Procedure for Recruitment

Determination of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes, other Backward Classes and other categories, under rule 6 and shall intimate the commission.

Procedure for Direct Recruitment

15. Direct recruitment shall be made by the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission according to the Uttarakhand Procedure for Direct recruitment for Group "C" Posts (outside The Purview of the Uttarakhand Piblic Service Commission) Rules, 2008

Procedure for Recruitment by promtion

16 (1) Recruitment by promotion shall be made through the selection committee constituted under, according to Uttarakhand Procedure for Selection by promotion for state services (for the post outside the purview of Public Service Commission) rules, 2013.

(A)	Appointing Authority	**Chairman**
(B)	An officer having adequate knowledge in the related field according to the requirement of the posts for which recruitment each to be made shall be nominated by the Appointing Authority	**Member**
(C)	An officer belonging to the Scheduled Castes or Schedule Tribes, nominated by the Appointing Authority, if the chairman does not belong to Scheduled castes or Schedule Tribes. If the chairman belong to the Scheduled castes or Schedule Tribes an officer other than belonging	**Member**

to the Scheduled castes or Schedule Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the chairman

(D) An officer belonging to the Other Backward Classes, shall be nominated by the Appointing Authority, if the chairman does not belong to other backward classes. If the chairman belong to the other backward classes an officer other then other backward classes or Scheduled castes or Schedule Tribes shall be nominated by the chairman — Member

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates, in accordance with Rule 5 of the Uttarakhand Promotion by Selection (for the posts outside the purview of Public Service Commission) Eligibility list Rules, 2003 and place it before the selection committee along with their character rolls for last five years and other such records pertaining to them as may be considered proper.

(3) The selection committee shall prepare a list of selected candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule(2), according to the Government orders in force at the time of recruitment, and forward the same to the Appointing Authority.

Part VI – Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

17. (1) The Appointing Authority shall make the appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 15, or rule 16, as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

18. (1) A person on appointment to a post in the Service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority, may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:-

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during at the end of the period of probation or extended period of promotion that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, if -

(a) His work and conduct is reported to be satisfactory.
(b) His integrity is certified, and
(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority-

20. The Seniority of persons substantively appointed to a post in the Service shall be determined in accordance with the Uttrakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time. If two or more persons appointed at the same time then the seniority shall be decided according to the order denoted in their appointment order,

Part VII — Pay etc.

Scales of pay-

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in the **Appendix A.**

Pay during probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise;

(2) The Pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servents serving in connection with affairs of the state.

Part VIII — Other Provisions

Canvassing

23. No recommendations, either written or oral, other than required under the rules applicable to the post of the Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulations of other matters	24.	In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxation from the conditions of service	25.	Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dis, with or relax the requirements of that rule to such extent and subject such condition, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
Saving	26.	Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of in accordance with the orders issued by Government from time to time in this regard.

APPENDIX - A

Head office (Directorate Cadre) of Animal Husbandry, Uttrakhand, Dehradun

S.No	Name of Post	Pay Scale (Rs.)	No. of Posts
1	Chief Administrative Officer	Pay Level-10 (56100-177500)	03
2	Senior Administrative Officer	Pay Level-8 (47600-151100)	04
3	Administrative Officer	Pay Level-7 (44900-142400)	04
4	Head Assistant	Pay Level-6 (35400-112400)	09
5	Senior Assistant	Pay Level-5 (29200-92300)	14
6	Junior Assistant	Pay Level-3 (21700-69100)	16
	Total		50

Animal Husbandry, Kumaon Division - Nainital

S.No	Name of Post	Pay Scale (Rs.)	No. of Posts
1	Chief Administrative Officer	Pay Level-10 (56100-177500)	04
2	Senior Administrative Officer	Pay Level-8 (47600-151100)	05
3	Administrative Officer	Pay Level-7 (44900-142400)	05
4	Head Assistant	Pay Level-6 (35400-112400)	12
5	Senior Assistant	Pay Level-5 (29200-92300)	18
6	Junior Assistant	Pay Level-3 (21700-69100)	20
	Total		64

Animal Husbandry, Garhwal Division - Pauri

S. No	Name of Post	Pay Scale (Rs.)	No. of Posts		
			District/ Division office	Pasulok/ kalsi farm	Total
1	Chief Administrative Officer	Pay Level-10 (56100-177500)	05	01	06
2	Senior Administrative Officer	Pay Level-8 (47600-151100)	06	01	07
3	Administrative Officer	Pay Level-7 (44900-142400)	07	02	09
4	Head Assistant	Pay Level-6 (35400-112400)	15	04	19
5	Senior Assistant	Pay Level-5 (29200-92300)	23	06	29
6	Junior Assistant	Pay Level-3 (21700-69100)	26	07	33
	Total		82	21	103

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDRAM,

Secretary.

न्याय विभाग

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

13 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 21/XXXVI/न्याय विभाग/2019–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार दिनांक 16–12–2019 से 31–01–2020 तक (दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर, 2019 को प्रीफिक्स तथा 01 एवं 02 फरवरी, 2020 को सफिक्स करते हुए) बाल्य देखभाल अवकाश उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–04 के आदेश संख्या 429/XXX(4)/2019–04(2)/2019, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 की स्वीकृति के फलस्वरूप आज दिनांक 13–12–2019 को कार्यालय समय उपरान्त छोड़ा गया।

श्वेता पाण्डेय,
संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

कार्यालय–ज्ञाप

[illegible] दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या [illegible]/XXVIII–4–2019–44/2018–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या–533/2018 के अनुपालन में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चम्बा का नाम निम्नवत् परिवर्तित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

घोषणा संख्या	वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
533/2018 दिनांक 12.10.2018	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चम्बा टिहरी गढ़वाल	शहीद विक्टोरिया क्रास विजेता "वी0सी0 गबर सिंह नेगी" सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

अरुणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति

16 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 2023/VII-A-1/2019/31ख/18–विज्ञप्ति संख्या–1557/VII-1/2017/46ख/17, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 23(1) के प्रावधानानुसार जनपद पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं नैनीताल के कुल 105 रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किया गया था, जिसमें जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत क्र0सं0 8 पर वर्णित "ग्राम मातली–1, तहसील डुण्डा, खसरा सं0 2498म एवं 2854 क्षेत्रफल 0.3910 है0" के स्थान पर "ग्राम मातली–1, तहसील डुण्डा, खसरा सं0 3643म0 क्षेत्रफल कुल रकवा 0.3910 है0" का संशोधन किया जाता है।

2. संगत विज्ञप्ति दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

एन0एस0 डुंगरियाल,
संयुक्त सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2019 ई0

संख्या 855/XVIII(3)/2019–03(02)/2016–राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम 'वनमहोलिया' के अन्तर्गत कुल 241.441 हेक्टेअर भूमि, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगी :–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	कुल भूमि
1	2	3	4	5
ऊधमसिंह नगर	खटीमा	बिल्हैरी	वनमहोलिया	241.441 हेक्टेअर

आज्ञा से,
सुशील कुमार,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 855/XVIII(3)/2019-03(02)/2016**, dated November 19, 2019 for general information.

NOTIFICATION

November 19, 2019

No. 855/XVIII(3)/2019-03(02)/2016--In exercise of the powers conferred by section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the total 241.441 Hectare land of Village **'Vanmaholiya'** mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette :--

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Total Land
1	2	3	4	5
Udhamsingh Nagar	Khatima	Bilhari	Vanmaholiya	241.441 Hectare

By Order,

SUSHIL KUMAR,
Secretary In-charge.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 02 हिन्दी गजट/10-भाग 1-2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 21, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

December 14, 2019

No. 323/XIV-a/40/Admin.A/2013--Sri Rajesh Kumar, Civil Judge (Sr. Div.) Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 20.11.2019 to 30.11.2019 with permission to suffix 01.12.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 17, 2019

No. 324/XIV/35/Admin.A--Ms. Kumkum Rani, District & Sessions Judge Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 03 days *w.e.f.* 05.12.2019 to 07.12.2019 with permission suffix 08.12.2019 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

21st December, 2019

THE UTTARAKHAND HIGH COURT VIGILANCE RULES, 2019

(Approved by the State Government vide letter no. 355/XXXVI(1)/2019-345/2019 dated 20.12.2019)

No. 325/UHC/Vigilance/2019--In order to provide more effective machinery for the prevention of corruption, to strengthen the Vigilance in Judiciary and to take appropriate action against the corrupt officers and officials in the establishment of High Court of Uttarakhand and in the State Judiciary, High Court of Uttarakhand, in exercise of the powers conferred under Article 235 of the Constitution of India, frame the following Rules:–

1. These Rules shall be called "The Uttarakhand High Court Vigilance Rules, 2019.

2. These Rules shall come into force with immediate effect.

3. Difinitions :

(a) 'High Court' shall mean High Court of Uttarakhand, At-Nainital.

(b) 'Chief Justice' shall mean Chief Justice of High Court of Uttarakhand.

(c) 'Administrative Judge' shall mean Judge-Incharge of a District, as nominated by Hon'ble the Chief Justice.

(d) 'Subordinate Court' shall mean subordinate courts in the State of uttarakhand including Family Courts and all other Courts under the supervision of High Court of Uttarakhand.

(e) 'Judicial Officer' shall mean all the judicial officers in the State of Uttarakhand subordinate to High Court of uttarakhand, including all those judicial officers, who are posted on deputation for the time being.

(f) 'Officials' shall mean all the staff in the establishment of High Court of Uttarakhand from the cadre of class-IV till Joint Registrar and of all the subordinate courts.

(g) 'Vigilance Cell' shall mean vigilance cell in the High Court of Uttarakhand established under Rule 4.

4. (a) There shall be a Vigilance Cell in the High Court of Uttarakhand, which shall act as a separate Department of the High Court. vigilance Cell shall work under the direct control and supervision of Hon'ble the Chief Justice.

(b) The officers and staff of the Vigilance cell shall discharge such functions and duties as may be assigned to them from time to time by the Hon'ble Chief Justice.

(c) Vigilance Cell shall maintain absolute confidentiality and shall not divulge any information in their possession, except on the specific directions of Hon'ble the Chief Justice.

5. Registrar (Vigilance) shall be overall in-charge of the Vigilance Cell, and shall work under the direct control and supervision of Hon'ble the Chief Justice.

6. (a) The Vigilance Cell shall comprise of two Sections as mentioned below :

Administrative Section : It shall comprise of the following :

(1) One Assistant Registrar

(2) One Section Officer

(3) One Assistant Review Officer

(4) Stenographer (English)

(5) Stenographer (Hindi)

(6) One Peon

Investigation Section : It shall comprise of the following :–

(1) One Vigilance Officer (of SSP/SP level, on deputation from police department, having minimum 8 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID.

(2) One Vigilance Officer (of Dy. SP level, on deputation from police department, having minimum 8 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID.

(3) Three Inspectors of Police having minimum 15 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID.

(4) Three Head Constables having minimum 10 years of service.

(5) Six Constables with minimum 5 years of service.

(b) Deputation of Police Officers to the Vigilance Cell shall be decided by the Hon'ble Chief Justice from a panel of five names forwarded by the State Government.

(c) The Police Officers on deputation to the Vigilance Cell will have a tenure of 02 years, extendable by 01 more year. Any extension of their deputation will be at the discretion of the Hon'ble Chief Justice. However, if the conduct/performance of any Police Officer is found unsatisfactory, the High Court may revert him to his parent department, at any time.

7. Jurisdiction of Vigilance Cell : Vigilance Cell of the High Court shall have jurisdiction to deal with complaints received against judicial officers subordinate to the High Court, staff of the High Court and subordinated courts. Vigilance Cell may inquire into any matter brought to its notice through a complaint or otherwise or which may have come in its notice, in which, allegations of corruption, impropriety, misconduct, indiscipline or any conduct which shows lack of integrity, are made. Apart from that, it may inquire any other matter, on the specific directions of Hon'ble the Chief Justice.

8. Work profile of Vigilance cell : Vigilance Cell shall perform the following works:-

(i) Process complaints.

(ii) Make enquiries (discreet or preliminary) and investigations into cases of corruption, bribery, misconduct or any conduct which shows lack of integrity.

(iii) Maintaining Annual Confidential Remarks of Judicial Officers.

(iv) To issue vigilance clearance in the matter of Retirement/Promotion/Awarding of Selection Grade/ Super-Time Scale/Passport/applying for deputation etc.

(v) Scrutiny of statements furnished by judicial officers every year regarding movable & immovable property.

(vi) Maintaining record of final disciplinary enquiries, and place the status before Hon'ble Chief Justice from time to time.

(vii) Monitoring of any prosecution launched in the course of any vigilance enquiry before a Court of Law.

(viii) Any other work assigned by Hob'ble the Chief Justice.

9. Procedure to be adopted by the Vigilance cell :

(i) Vigilance Cell, on receiving information/complaint through any mode, shall reduce the same into writing, if not made in writing and shall register it in the manner as prescribed hereinafter.

(a) Three Complaint Registers (one for judicial officers, second for staff of High Court and third for staff of subordinate courts) shall be maintained by the Vigilance Cell, in which on the first page, a certificate shall be given that this register contains so many pages. Each page of the register shall be numbered. The Certificate shall be signed by the Registrar (Vigilance).

(b) Every information/complaint shall be given a number in the form s.no.-I/II/III(Register)/UHC/Vigilance/Year.

(c) Existing date shall be maintained with the same number given to it.

(d) A computerized Database shall be prepared, which shall contain the following information with respect to all the judicial officers:

(i) Name of the Judicial officer.

(ii) Date of Birth and Home Town.

(iii) Place of postings, where the officer remained posted along with current posting and duration of postings.

(iv) Annual Confidential Remarks along with the integrity report.

(v) Complaints received against the officer, in which the number of the complaint, name of complainant, action taken on the complaint and date of filing of complaint shall be mentioned.

(vi) All existing data shall be entered in the Database.

(e) Two Guard Files (A & B) shall be maintained in the Vigilance Cell. In first guard file (A), particulars of all the Registers and all the orders relating to vigilance cell shall be pasted. In second guard file (B), other orders copies of which, are received in vigilance cell, shall be pasted.

(f) One folder/file shall be maintained for each judicial officer and all complaints/information received against a judicial officer shall be placed in a single file. Index in each file shall be properly maintained.

(g) In case, final disciplinary inquiry is conducted in any matter, copy of complete record upto the stage of orders for final disciplinary inquiry, shall be prepared, which will be kept in the vigilance cell, and the original file shall be handover to the Inquiry Officer,

(ii) After registration, the complaints received against the judicial officers and the staff of the High Court shall be placed before Hon'ble the Chief Justice and complaints received against staff of subordinate courts shall first be placed before the Administrative Judge of the district concerned, and thereafter before Hon'ble the Chief Justice along with their opinion/recommendation. for orders.

(iii) Further action on the complaint shall be taken on the directions of Hon'ble the Chief Justice.

(iv) If it appears that a trap be laid in a matter of corruption, Registrar (Vigilance) shall, with the previous approval of the Chief Justice, direct the Superintendent of Police and, thereafter, Superintendent of Police shall do the needful as per prescribed procedure.

(v) Copy of every complaint routed through the District Judge, or comments sought from the district, shall be kept in the concerned district and an endorsement of this fact shall be mentioned in the correspondence made with the High Court that the said complaint/comments has been entered at s. no./register no. along with a copy of the same.

(vi) Complaints making allegations against members of the subordinate judiciary, if not accompained by a duly sworn affidavit and/or verifiable material, shall be lodged. Nothing mentioned hereinbefore shall preclude action taken on any complaint even if it is an anonymous/pseudonymous one, if on a discreet inquiry or verification of contents, undertaken with the approval of Hon'ble the Chief Justice, it is considered necessary that action be taken.

(vii) Complaints making allegations purely in connection with a judicial order passed by a court, shall be filed/lodged without taking any steps thereon.

(viii) All outcomens pertaining to enquiries, on the complaints received or investigation (including laying of traps) shall be forwarded by the Superintendent of Police to the Registrar (Vigilance).

(ix) No trap shall be laid except under the specific directions from Hon'ble the Chief Justice.

(x) The Superintendent of Police will be responsible for assigning duties to the officers under him, with respect to the functions pertaining to the Vigilance Cell.

(xi) The Registrar (Vigilance) will scrutinize the Performance Appraisal Reports of the Police Officers in the Vigilance Cell and sign them.

(xii) Complaints received against Advocates shall be forwarded to the concerned State Bar Council for further action.

(xiii) Other complaints, which are outside the purview of the Vigilance Cell will either be returned to the sender or to the other Authorities concerned. If is not possible to return them for want of sufficient details, they shall be closed.

(xiv) Complaints containing allegations, other than of corruption, will be forwarded to the Registry for further action.

(xv) All matters of the Vigilance Cell shall be placed before Hon'ble the Chief Justice through the Registrar (Vigilance), except when the matter pertains to the Registrar (Vigilance) himself.

10. **Assistance by other authorities:** All the authorities in the State whether administrative/police/revenue shall cooperate and provide required assistance in vigilance matters on a request made by the Registrar (Vigilance).

11. In making a discreet enquiry, Registrar (Vigilance) or any other officer deputed by him, shall proceed to the place and make such enquiry as he deems fit, without recording any statement in writing, and prepare his confidential report.

12. If the discreet enquiry is made by any officer, other than Registrar (Vigilance), he shall submit his report to the Registrar (Vigilance), who shall study the same, prepare his report and submit it to Hon'ble the Chief Justice.

13. In conducting a preliminary enquiry, the Registrar (Vigilance) or any other officer deputed by him, shall proceed to the place and record the statements of such persons, who can throw light on the allegations made in the complaint, and shall submit his report to the Chief Justice.

14. **Residuary powers of Hon'ble the Chief Justice:** Nothing contained hereinbefore shall preclude Hon'ble the Chief Justice for making any order or issue any directions for the administration of justice, and to give effect to the provisions of these Rules or for effective implementation of these Rules or for such matters, for which, no specific provision has been made.

By Order of the Court,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

17 दिसम्बर, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 6347/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti. Vo. II/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 1052/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-56 एवं 1053/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON-08 समदिनांकित 12 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2019 एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (आठवां कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 1052/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-56–राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये दिनांक 14 नवम्बर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,–

(i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01 के, उपाबंध 1 में,

(क) विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

"विवरण 1क (नियम 89(2)(ज))

प्रतिदाय का प्रकारः विपर्यस्त कर संरचना के कारण संचित आईटीसी (धारा 54(3)के प्रथम परंतुक का खंड (ii))

क0 सं0	प्राप्त इनपुट के प्राप्त आवक पूर्तियों के दस्तावेजों के ब्यौरे							आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के दस्तावेजों के ब्यौरे					जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	आवक पूर्ति का प्रकार	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन/स्वंय का जीएस0टी0आई0एन0	दस्तावेज का प्रकार	प्रवेश पत्र संख्या	पत्तन कोड	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	जावक पूर्ति का प्रकार	दस्तावेज के प्रकार	सं.	तारीख	करधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											बी2बी/बी2सी							

(ख) विवरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"विवरण 2 (नियम 89(2)(ग))

प्रतिदाय का प्रकारः कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात (संचित आईटीसी)

क0 सं0	दस्तावेज के ब्यौरे					एकीकृत कर	उपकर	बीआरसी/एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य			सं0	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(ग) विवरण 3 के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"विवरण 3 (नियम 89(2)(ख) और नियम 89(2)(ग))

प्रतिदाय का प्रकारः कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

क0सं0	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/सेवाएं (मा/से)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बीआरसी/एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं0	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं0	तारीख	संदर्भ सं0	तारीख	सं0	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(घ) विवरण 4 के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"विवरण 4 (नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)

प्रतिदाय का प्रकारः विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड़) इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को किए गए पूर्ति के कारण (कर के संदाय पर)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज ब्यौरे				पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/एसईजेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
	दस्तावेज का प्रकार	सं0	तारीख	मूल्य	सं0	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ड.) विवरण 4 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"विवरण 4क"

डीटीए से प्राप्त पूर्तियों के कारण विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड़) द्वारा प्रतिदाय–कर के संदाय सहित

पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे				पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/एसईजेड द्वारा पृष्ठांकित बीजक		कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
	दस्तावेज का प्रकार	सं0	तारीख	मूल्य	सं0	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(च) विवरण 5 के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

"विवरण 5 (नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ड.)

प्रतिदाय का प्रकारः एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को पूर्ति किए जाने के कारण (कर के संदाय के बिना)

क0सं0	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/सेवाएं (मा/से)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/ पृष्ठांकित बीजक संख्या	
	दस्तावेज का प्रकार	सं0	तारीख	मूल्य		सं0	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8

(छ) विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

"विवरण 5ख (नियम 89(2)(छ))

प्रतिदाय का प्रकारः पूर्तिकार द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क0सं0	पूर्तिकार द्वारा दावाकृत प्रतिदाय के मामले में आवक पूर्तियों के दस्तावेज ब्यौरे				संदत्त कर			
	दस्तावेज का प्रकार	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

"विवरण 5ख (नियम 89(2)(छ))

प्रतिदाय का प्रकारः प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत समझे गए निर्यात के कारण

क0स0	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत प्रतिदाय के मामले में आवक पूर्तियों के दस्तावेज ब्यौरे				संदत्त कर			
		दस्तावेज का प्रकार	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ज) विवरण 6 के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

"विवरण 6 (नियम 89(2)(ञ))

प्रतिदाय का प्रकारः पीओएस में परिवर्तन के कारण (अंतर्राज्यिक से राज्यान्तरिक और विपर्यन)

दस्तावेज का प्रकार बी 2सी/रजिस्ट्रीकृत	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन/यूआईएन	नाम (बी2सी के मामले में)	दस्तावेज के ब्यौरे				
			दस्तावेज का प्रकार	सं०	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व के राज्यान्तरिक/अंतर्राज्यिक रूप में विचारणीय संव्यवहार आच्छादित दस्तावेजों के ब्यौरे					
अंतर्राज्यिक/राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	पीओएस
9	10	11	12	13	14

संव्यवहार जिसके लिए अंतर्राज्यिक/राज्यान्तरिक पूर्ति पश्चातवर्ती धारित किए गए थे					
अंतर्राज्यिक/राज्यान्तरिक	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	पीओएस
15	16	17	18	19	20
					"।

(ii) प्ररूप जीएसटीआर–9 की सारणी में,

(क) क्रम संख्या 8ग के सामने, स्तंभ 2 में,–

(अ) "वर्ष 2017–18 के दौरान" शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017–18के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान उपभोग किये गये" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:–

"। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आवक पूर्तियों पर आईटीसी (रिजर्व भार के लिए दायी आयातों और आवक पूर्तियों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं सहित) 2018–19 के दौरान प्राप्त किंतु अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान उपभोग किए गए";

(ख) भाग V में,–

(अ) "चालू वित्तीय वर्ष " शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "संव्यवहारों की विशिष्टियां" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2018–19 के संव्यवहारों की विशिष्टियां";

(iii) प्ररूप जीएसटीआर–9 के अनुदेशों में,–

(क) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:–

"इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए यह विवरणी फाइल की गयी है, सभी प्ररूप जीएसटीआर–1 और प्ररूप जीएसटीआर–3ख का भरा जाना आवश्यक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।";

(ख) पैरा 4 में,–

(अ) "यह नोट किया जाए" शब्दों के पहले "वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) "वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये अतिरिक्त दायित्व " शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017–18 या वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये अतिरिक्त दायित्व" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) "इस विवरणी के माध्यम से" शब्दों के पश्चात् आने वाले शब्दों "वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अदावाकृत" का लोप किया जाएगा;

(ई) सारणी के दूसरे स्तंभ में,–

(I) कम संख्या 4झ के सामने "9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ. में जमापत्रों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";

(II) कम संख्या 4ञ के सामने "9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ में नामें नोट के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";

(III) कम संख्या 4ट और 4ठ के सामने "9ग का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए यदि इस सारणी में पृथक रूप से ऐसे ब्यौरों की रिपोर्ट करने में कोई कठिनाई है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 4ख से सारणी 4ङ में संशोधनों के शुद्ध को भरे जाने का विकल्प होगा।";

(IV) कम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने "(5च) गैर जीएसटी पूर्ति के अधीन घोषित किया जाएगा।" शब्दों, अंक, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास केवल "छूट प्राप्त" पंक्ति के इन तीनों सभी शीर्षो के लिए उसके शून्य दर और गैर जीएसटी छूट प्राप्त पूर्तियों की पृथक रूप से या समेकित रूप से सूचना देने का विकल्प होगा।";

(V) कम संख्या 5ज के सामने, "प्ररूप जीएसटीआर–1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";

(VI) कम संख्या 5झ के सामने "प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, नामे नोट का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";

(VII) कम संख्या 5ञ और 5ट के सामने "प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास, इस सारणी में ऐसे ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में, संशोधनों का समग्र सारणी 5क से 5च में भरने का विकल्प होगा।";

(ग) पैरा 5 की सारणी के दूसरे स्तंभ में,—

(अ) कम संख्या 6ख के सामने "इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में पृथक रूप से की जाने चाहिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।";

(आ) कम संख्या 6ग और 6घ के सामने "सारणी 4(क) (3) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो सारणी 6ग और सारणी 6घ में पृथक रूप से प्रस्तुत करे या सारणी 6ग और सारणी 6घ के समेकित ब्यौरे केवल सारणी 6घ में प्रस्तुत करें।";

(इ) कम संख्या 6ङ के सामने "सारणी 4(क) (1) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं के रूप में इनपुट कर प्रत्यय को विभाजित करें या केवल "इनपुट" पंक्ति के अधीन संपूर्ण इनपुट कर प्रत्यय प्रस्तुत करें।";

(ई) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने "प्रविष्टि प्ररूप जीएसटीआर–09 की 7ङ में आएगी" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो उलटने की सूचनापृथक रूप से सारणी 7क से 7ङ में भरे या उलटने की संपूर्ण रक़म केवल सारणी 7ज में प्रस्तुत करें। तथापि, ट्रान–1 प्रत्यय (सारणी 7च) और ट्रान–2 (सारणी 7छ) के कारण उलटना आज्ञापक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।";

(उ) क्रम संख्या 8क के सामने,–

(I) शब्दों और अंकों "वित्तीय वर्ष 2017–18" के स्थान पर "वित्तीय वर्ष जिसके लिए विवरणी होनी है" शब्द रखें ज़ाएंगे;

(II) शब्दों "यह ध्यान दिया जाये कि" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए" शब्द, अक्षर ओर अंक अंतःस्थापित किये जाएंगे;

(III) शब्दों "स्वतः दर्शाया जाएगा" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए यह ध्यान दिया जाए कि 1 नवंबर, 2019 को उत्पन्न प्ररूप जीएसटीआर–2 को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा।

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रूप विधान में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें।";

(ऊ) क्रम संख्या 8ख के सामने, "स्वतः दिखाया जाएगा।" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह सारणी 8क से 8घ की प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–9ग (सीए प्रमाणीकरण के बिना) में पीडीएफ रूप विधान में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करें।";

(ऋ) क्रम संख्या 8ग के सामने,–

(I) शब्दों "सभी आवक प्रदायों पर लिए गये इनपुट" से पहले "वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) शब्दों "यहां घोषणा की जाएगी" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सभी आवक पूर्तियों पर लिए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उनके जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, जिसके अन्तर्गत अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की पूर्ति भी है) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी।"

(III) "सारणी 4 (क) (5) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–9ग में पीडीएफ प्रारूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकतः हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा।";

(ए) कम सं0 8घ के सामने "नकारात्मक होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 8क से सारणी 8घ में प्रविष्टियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–9ग में पीडीएफ प्रारूप में (सी.ए. के प्रमाणन के बिना) सम्यकतः हस्ताक्षरित ब्यौरे अपलोड करने का विकल्प होगा।";

(घ) पैरा 7 में,––

(अ) "भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्दों और अंक के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(आ) "अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच घोषित किया गया है" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, भाग V पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए किए गए संव्यवहारों की विशिष्टियों, किंतु जो अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के बीच प्ररूप जीएसटीआर 3ख में संदत्त की गई हैं, से मिलकर बना है।";

(इ) सारणी में, दूसरे स्तम्भ में,––

(I) कम सं0 10 और कम सं0 11 के सामने,––

(1) "पूर्व वित्त वर्ष" शब्दों से पूर्व, "वित्त वर्ष 2017–18 के लिए" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) "यहां घोषित किये जायेंगे" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

" वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले ही घोषित किन्हीं पूर्तियों में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2019 से सितम्बर, 2019 के प्ररूप जीएसटीआर–1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में यहां घोषित किए जाएंगे।";

(II) कम सं0 12 के सामने,––

(1) "इनपुट कर प्रत्यय" शब्दों से पूर्व, "वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) "इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आईटीसी को उलट करने का समग्र मूल्य, जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष में लाभ उठाया गया था किंतु जिसे अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के मास के लिए फाइल की गई विवरणी में उलट दिया गया था, की घोषणा की जाएगी। प्ररूप जीएसटीआर 3ख की सारणी 4ख का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह सारणी नहीं भरने का विकल्प होगा।";

(III) कम सं0 13 के सामने,—

(1) "पूर्व वित्तीय वर्ष में" शब्दों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए" शब्द रखें जाएंगे;

(2) "वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक विवरणी में दिए जाएंगे" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं की आईटीसी के ब्यौरे किंतु जिनके लिए आईटीसी का अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 मास के लिए फाइल की गई विवरणी में लाभ लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। प्ररूप जीएसटीआर 3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यद्यपि, कोई आईटीसी, जिसे धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में उलट दिया गया था किंतु जिसका वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनः दावा किया गया था, पुनः दावा किये गये ऐसे आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को नहीं भरने का विकल्प होगा।";

(ड.) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,—

(अ) कम संख्या 15क, कम संख्या 15ख, कम संख्या 15ग और कम संख्या 15घ के सामने "इसके अंतर्गत गैर–जीएसटी प्रतिदाय दावों के ब्यौरे नहीं हैं" शब्दों के पश्चात्, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को नहीं भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) 15ङ, 15च और 15छ के सामने "मूल्य यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात, "वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को नहीं भरने का विकल्प होगा" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) कम संख्या 16क के सामने, "इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा" शब्दों के पश्चात् "वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को नहीं भरने का विकल्प होगा" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ई) कम संख्या 16ख और कम संख्या 16ग के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को नहीं भरने का विकल्प होगा" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(उ) कम संख्या 17 और 18 के सामने, "आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो" शब्दों, अंकों और चिन्हों के पश्चात् "वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास इस सारणी को नहीं भरने का विकल्प होगा" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

प्ररूप जीएसटी जीएसटीआर—9ग में संशोधन

3. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी जीएसटीआर—9ग के, अनुदेशों में, पैरा 2 में—

(i) "इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017—18" अक्षरों और अंको के स्थान पर "इस विवरणी को भरने से पूर्व चालू वित्तीय वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) "जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे" अक्षरों, शब्दों और अंकों के पूर्व "वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैरा 4 में, सारणी के दूसरे स्तम्भ में,—

(क) क्रम संख्या 5ख और क्रम संख्या 5ग के सामने, "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों और कोष्ठकों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।"

(ख) क्रम संख्या 5घ के सामने, "यहाँ सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।"

(ग) क्रम संख्या 5ङ और क्रम संख्या 5च के सामने "यहाँ घोषित की जाएगा/की जाएंगी" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।"

(घ) क्रम संख्यांक 5छ के सामने "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"वित्तीय वर्ष 2017—18 और 2018—19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।"

(ङ) क्रम संख्या 5ज, क्रम संख्या 5झ, क्रम संख्या 5ञ, क्रम संख्या 5ट, क्रम संख्या 5ठ, क्रम संख्या 5ड और क्रम संख्यांक 5ढ के सामने "यहाँ घोषित किया जाएगा" शब्दों से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे। यदि किन्हीं समायोजनों का रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होता है तो उसे सारणी 5ण में रिपोर्ट किया जा सकेगा।"

(iv) पैरा 6 में, दूसरे स्तंभ में,–

(अ) क्रम संख्या 12ख के सामने, "उपभोग वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किया गया" शब्दों और अंकों के समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे"।

(आ) क्रम संख्या 12ग के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे"।

(इ) क्रम संख्या 14 के सामने, "यहां घोषित किया जाएगा" शब्दों के समाप्त होने वाली प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह इस सारणी को नहीं भरे"।

(v) भाग ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"भाग–ख–प्रमाणीकरण

I. उन मामलों में प्रमाणीकरण जहां समाधान विवरण (प्ररूप जीएसटीआर–9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है:

*मैने/हमने ....

(क)........................ को तुलन–पत्र की

(ख)........................ से आरंभ होने वाले और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की, और

(ग) यहां संलग्न .... से आरंभ होने वाले और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध है), मैसर्स .... (नाम) .... (पता)............................... (जीएसटीआईएन) की परीक्षा कर ली है।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–

* ने एकीकृत माल और सेवाकर/केंद्रीय माल और सेवाकर/उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गये नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

* ने एकीकृत माल और सेवाकर/केंद्रीय माल और सेवाकर/उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गये नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. (क) *मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं:

....

....

3. (ख) *मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि, —

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है।

(इ) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन–पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन (यदि उपलब्ध हो) राज्य के भीतर .... पर कारबार के मुख्य स्थान और .... कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं।

4. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, की धारा 35(5)के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान विवरण प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

5 *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं0 जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं:

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

....

....

**(संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान:

हस्ताक्षरी का नाम ....

सदस्यता सं. ....

तारीख: ....

पूरा पता ....

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान विवरण (प्ररूप जीएसटीआर–9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है:

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स .... (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा .... अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. .... धारण करने वाले मैसर्स .... (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और

*मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ .... तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।

(क) .... को तुलन–पत्र;

(ख) .... से आरंभ होने वाले और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा;

(ग) .... से आरंभ होने वाली और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन–पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–

* ने एकीकृत माल और सेवाकर/केंद्रीय माल और सेवाकर/उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गये नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

* ने एकीकृत माल और सेवाकर/केंद्रीय माल और सेवा कर/उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गये नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.
2.
3.

3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

4 *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर–9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं:

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

....

....

**(संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)
स्थान:
हस्ताक्षरी का नाम ....
सदस्यता सं. ....
तारीख: ....
पूरा पता ....

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 1052/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-56,** dated December 12, 2019 for general information:

NOTIFICATION

December 12, 2019

No. 1052/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/CT-56--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act, No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2019

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2019.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 14th day of November, 2019.

Amendment in FORM GST RFD-01

2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules),-
(i) in **FORM GST RFD-01**, in Annexure 1,
(a) for **Statement 1A**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of documents of inward supplies received of inputs received							Tax paid on inward supplies			Details of documents of outward supplies issued					Tax paid on outward supplies		
	Type of Inward Supply	GSTIN of Supplier / Self GSTIN	Type of Document	No./B/E	Port Code	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Type of Outward Supply	Type of Document	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											B2B/B2C							",

(b) for Statement 2, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Export of services with payment of tax (accumulated ITC)

Sr.No	Document details					Integrated Tax	Cess	BRC/FIRC		
	Type of document	No.	Date	Value	Taxable value			No.	Date	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										",

(c) for Statement 3, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 3 [rule 89(2)(b) and rule 89(2)(c)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

Sl. No.	Document details				Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/FIRC		
	Type of document	No.	Date	Value		Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													",

(d) for Statement 4, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 4 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

GSTIN of recipient	Document details				Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Taxable Value	Integrated Tax	Cess
	Type of document	No.	Date	Value	No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									";

(e) after Statement 4, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 4A

Refund by SEZ on account of supplies received from DTA – With payment of tax

GSTIN of Supplier	Document details				Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Taxable Value	Integrated Tax	Cess
	Type of document	No.	Date	Value	No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									";

(f) for Statement 5, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 5 [rule 89(2)(d) and rule 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer

(without payment of tax)

Sl.No	Document details				Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice no.	
	Type of document	No.	Date	Value		No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8
							";

(g) for **Statement 5B**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports claimed by supplier

Sl. No	Document details of inward supplies in case refund is claimed by Supplier				Tax Paid			
	Type of document	**No.**	**Date**	**Taxable Value**	**Integrated Tax**	**Central Tax**	**State Tax**	**Cess**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
							";	

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports claimed by recipient

Sl. No		Document details of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax Paid			
	GSTIN of supplier	**Type of document**	**No.**	**Date**	**Taxable Value**	**Integrated Tax**	**Central Tax**	**State Tax**	**Cess**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									";

(h) for **Statement 6**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-state to intra-state and vice versa)

Document Type B2C/ Registered	Recipient GSTIN/ UIN	Name (in case of B 2 C)	Document Details				
			Type of Document	No.	Date	Value	Taxable Value
1	2	3	4	5	6	7	8

Details of documents covering transaction considered as intra-State/inter-State transaction earlier					
Inter/Intra	Integrated Tax	Central tax	State Tax	Cess	PoS
9	10	11	12	13	14

Transaction which were held inter State / intra-State supply subsequently					
Inter/Intra	Integrated Tax	Central tax	State Tax	Cess	PoS
15	16	17	18	19	20
					”;

(ii) in **FORM GSTR-9**, in the Table,-

(a) against serial number 8C, in column 2,-

(A.) before the letters and words “ITC on inward supplies”, the word, letters and figures “For FY 2017-18” shall be inserted;

(B.) after the entry ending with the words and figures, “April 2018 to March 2019”, the following entry shall be inserted, namely :-

“For FY 2018-19, ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2018-19 but availed during April 2019 to September 2019” ;

(b) in Pt. V,-

(A.) before the words “Particulars of the transactions”, the word, letters and figures “For FY 2017-18” shall be inserted;

(B.) after the heading ending with the words and figures “April 2018 till March 2019”, the following entry shall be inserted, namely :-

“For FY 2018-19, Particulars of the transactions for the FY 2018-19 declared in returns between April 2019 till September 2019”;

(iii) In **FORM GSTR-9**, in the instructions,

(a) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely: -

“2. It is mandatory to file all **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** for the financial year for which the return is being filed for before filing this return and for FY 2017-18, the details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.”;

(b) in paragraph 4, -

(A.) before the words, “It may be noted”, the word, letters and figures “For FY 2017-18,” shall be inserted;

(B.) after the words, letters and figures, "that additional liability for the FY 2017-18", the letters and figures "or FY 2018-19" shall be inserted;

(C.) after the words, "taxpayers cannot claim input tax credit", the words, letters and figures "unclaimed during FY 2017-18", shall be omitted;

(D.) in the Table, in second column ,-

(I) against serial number 4I, after the entry ending with the words " filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of credit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.";

(II) against serial number 4J, after the entry ending with the words " filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";

(III) against serial number 4K & 4L, after the entry ending with the words " filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 4B to Table 4E net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this table.";

(IV) against serial number 5D,5E and 5F, after the entry ending with the words, figures and brackets "under Non-GST supply (5F).", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either separately report his supplies as exempted, nil rated and Non-GST supply or report consolidated information for all these three heads in the "exempted" row only.";

(V) against serial number 5H, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of credit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";

(VI) against serial number 5I, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of debit notes in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";

(VII) against serial number 5J & 5K, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to fill Table 5A to Table 5F net of amendments in case there is any difficulty in reporting such details separately in this Table.";

(c) in paragraph 5, in the Table, in second column ,-

(A.) against serial number 6B, after the entry ending with the words, figure, brackets and letter "under 6(H) below.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the "inputs" row only.";

(B.)against serial number 6C and serial number 6D, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs, capital goods and input services or report the entire input tax credit under the "inputs" row only.

For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report Table 6C and Table 6D separately or report the consolidated details of Table 6C and 6D in Table 6D only.";

(C.) against serial number 6E, after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either report the breakup of input tax credit as inputs and capital goods or report the entire input tax credit under the "inputs" row only.";

(D.) against serial number 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, after the entry ending with the words, figures and letters "in 7E of **FORM GSTR-9.**", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to either fill his information on reversals separately in Table 7A to 7E or report the entire amount of reversal under Table 7H only. However, reversals on account of TRAN-1 credit (Table 7F) and TRAN-2 (Table 7G) are to be mandatorily reported.";

(E.) against serial number 8A,-

(I) for the letters and figures, "FY 2017-18", the words "the financial year for which the return is being for" shall be substituted;

(II) before the words, "It may be noted", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;

(III) after the entry ending with the words "auto-populated in this table.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2018-19, It may be noted that the FORM **GSTR-2A** generated as on the 1st November, 2019 shall be auto-populated in this table. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).";

(F.) against serial number 8B, after the entry ending with the words "be auto-populated here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification)." ;

(G.) against serial number 8C,–

(I) before the words, "Aggregate value of", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;

(II) after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2018-19, Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during April 2018 to March 2019 but credit on which was availed between April 2019 to September 2019 shall be declared here.";

(III) after the entry ending with the words "for filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification).";

(H.) against serial number 8D, after the entry ending with the words "shall be negative.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in Table 8A to Table 8D duly signed, in PDF format in FORM GSTR-9C (without the CA certification)." ;

(d) in paragraph 7,–

(A.) before the words and letter "Part V consists", the word, letters and figures "For FY 2017-18," shall be inserted;

(B.) after the entry ending with the words and figures "April 2018 to March 2019", the following entry shall be inserted, namely :-

"For FY 2018-19, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April 2019 to September 2019.";

(C.) in the Table, in second column ,-

(I) against serial number 10 & 11,

(1.)before the words, "Details of additions", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;

(2.)after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2018-19, Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM **GSTR-1** of April 2019 to September 2019 shall be declared here.";

(II) against serial number 12,

(1.) before the words, "Aggregate value of", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;

(2.) after the entry ending with the words "filling up these details.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2018-19, Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(B) of FORM **GSTR-3B** may be used for filling up these details. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.";

(III) against serial number 13, –

(1.) before the words, "Details of ITC for", the word, letters and figures, "For FY 2017-18," shall be inserted;

(2.) after the entry ending with the words, letters and figures "annual return for FY 2018-19.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2018-19, Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2019 to September 2019 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2018-19 as per second proviso to subsection (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2019-20, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2019-20. For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table.";

(e) in paragraph 8, in the Table, in second column ,–

(A.) against serial number 15A, 15B, 15C and 15D, after the words and letters "details of non-GST refund claims.", the words and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted;

(B.) against serial number 15E, 15F and 15G, after the words "shall be declared here.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted;

(C.) against serial number 16A, after the words "filling up these details.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table." shall be inserted;

(D.) against serial number 16B and serial number 16C, after the words "shall be declared here.", the words, letters and figures "For FY 2017- 18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table." shall be inserted;

(E.) against serial number 17 & 18, after the words "value of inward supplies.", the words, letters and figures "For FY 2017-18 and 2018- 19, the registered person shall have an option to not fill this table." shall be inserted;

Amendment in FORM GST GSTR-9C

3. In the said rules, in FORM GST GSTR-9C, in the instructions, in paragraph 2,

(i) for the letters and figures, "FY 2017-18", the words "current financial year" shall be substituted;

(ii) before the words, "The details for the", the word, letters and figures "For FY 2017-18;" shall be inserted;

(iii) in Paragraph 4, in the Table, in second column,–

(a) against serial number 5B and serial number 5C, after the entry ending with the words and brackets "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(b) against serial number 5D, after the entry ending with the words "not required to be included here.", the following entry shall be inserted, namely:-
"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(c) against serial number 5E and serial number 5F, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(d) against serial number 5G, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
"For FY 2017-18, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(e) against serial number 5H, serial number 5I, serial number 5J, serial number 5K, serial number 5L, serial number 5M and serial number 5N, after the entry ending with the words "shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-
"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this table. If there are any adjustments required to be reported then the same may be reported in Table 5O.";

(iv)in paragraph 6, in second column ,–

(A.) against serial number 12B, after the entry ending with the words and figures "availed during Financial Year 2017-18.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.";

(B.) against serial number 12C, after the entry ending with the words " shall be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.";

(C.) against serial number 14, after the entry ending with the words "are to be declared here.", the following entry shall be inserted, namely:-

"For FY 2017-18 and 2018-19, the registered person shall have an option to not fill this Table.";

(v) for Part B, the following shall be substituted, namely:-

"PART – B- CERTIFICATION

I. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit:

* I/we have examined the—

(a) balance sheet as on ....

(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning from......... to ending on ...., and

(c) the cash flow statement (if available) for the period beginning from ....to ending on ...., —attached herewith, of M/s .... (Name), ... (Address), ...(GSTIN).

2. Based on our audit I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/Uttarakhand GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/Uttarakhand GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

1.

2.

3.

3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies; if any: ....

....

3. (b) *I/we further report that, -

(A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to us.

(B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered person so far as appears from*my/ our examination of the books.

(C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account and the cash flow Statement (if available) are *in agreement/not in agreement with the books of account maintained at the Principal place of business at ....and ** ....additional place of business within the State.

4. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act / SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act / SGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.

5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.GSTR-9C are true and fair subject to following observations/qualifications, if any:

(a) ....

(b) ....

(c)..

....

....

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place: ....

Name of the signatory ....

Membership No..................

Date: ....

Full address ....

II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by a person other than the person who had conducted the audit of the accounts:

*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/s. .... (Name and address of the assessee with GSTIN) was conducted by M/s. ....(full name and address of auditor along with status), bearing membership number in pursuance of the provisions of the ....Act, and *I/we annex hereto a copy of their audit report dated .... along with a copy of each of :-

(a) balance sheet as on ....

(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning from ....to ending on ....,

(c) the cash flow statement (if available) for the period beginning from ....to ending on ...., and

(d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.

2. I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/Uttarakhand GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder *has not maintained the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/Uttarakhand GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

1.

2.

3.

3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act / SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act / SGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.

4. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and fair subject to the following observations/qualifications, if any:

(a)..

(b) ....

(c) ....

....

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place: ....

Name of the signatory......................

Membership No..................

Date: ....

Full address ...."

उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (आठवां कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019

12 दिसम्बर, 2019 ई०

संख्या 1053/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON-08–चूँकि, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबन्धित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम – इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (आठवां कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 44 के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 दिसम्बर, 2019 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2020 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी।"

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 1053/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON-08,** dated December 12, 2019 for general information:

UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (EIGHTH REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

December 12, 2019

No. 1053/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON-08-- WHEREAS, Sub-section (1) of section 44 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act, No. 06 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the tax payers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 and for the period from 1st April, 2018 to the 31st March, 2019 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Governor, on recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Eighth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the Explanation in section 44 of the said Act, the following Explanation shall be substituted, namely: –

"*Explanation*.- For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1stJuly, 2017 to the 31stMarch, 2018 shall be furnished on or before the 31st December, 2019 and the annual return for the period from the 1st April, 2018 to the 31stMarch, 2019 shall be furnished on or before the 31stMarch, 2020. "

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/10—भाग 1—क—2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 21, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पुत्र विभोर सैनी के शैक्षिक प्रमाणपत्र में (पिता) मेरा नाम त्रुटि से मांगे राम दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम अश्वनी कुमार है, भविष्य में मेरे पुत्र को विभोर सैनी मुझे अश्वनी कुमार नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अश्वनी कुमार पुत्र मंगतराम

निवासी 233 जलालपुर डाडा

पोस्ट हल्लूमजरा, जिला हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/10–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।